

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1965] No. 1965] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2636(अ).—िनम्नलिखित अधिसूचना का प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के कलाबुर्गी जिले के चिंचौली तालुक में स्थित है और यह 134.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पाँच खंडों अर्थात् खंड 1 से खंड 5 तक मिलकर बना है।

और, अभयारण्य समादि (येतीपोतानाला), जो बाद में मुल्लामारी नदी में सम्मिलित होती है, जो चंद्रामपाली बांध का मुख्य स्रोत है कि महत्वपूर्ण बारामासी धाराओं और सहायक नदियों का जलग्रह क्षेत्र है;

3897GI/2016 (1)

और, अभयारण्य में स्तनधारी काला हिरण, सामान्य लंगूर, सामान्य लोमड़ी, लकड़बग्घा, पैंथर (तेंदुआ), खरगोश, भारतीय भेड़िया, सियार, जंगल बिल्ली, चूहा, चित्तीदार हिरण, जंगली भालू आदि पाये जाते हैं;

और, चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 9.8 वर्ग किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 9.8 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र के साथ लगभग 139.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध । के रूप में उपाबद्ध है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 32 ग्रामों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त, चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भीतर 11 संलग्न ग्राम हैं जो पारिस्थितिक संवेदी जोन का भी भाग है। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उनके समन्वयकों के साथ **उपाबंध ॥** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।
 - (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थान (जीपीएस बिन्दु) **उपाबंध IIIक** के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिक;
 - (vi) राजस्व ;
 - (vii) कृषि;
 - (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग।

- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास का विनियमन करेगी ताकि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक अनुकूल विकास का उनके जीवकोपार्जन को संरक्षित करने के लिए सुनिश्चत किया जा सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 18, 24, 32 और 33 के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि :
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं; और
- (v) वर्षा जल संचय:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा:
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) बहिस्राव का निस्सारण -पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा:
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थातु :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	,	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिटटी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012

(2) आरा मीलों की स्थापना। परिव्यक्तिक संवर्ग आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचानन होगा। परिव्यक्तिक संवर्ग और अंक अनुसरण में सर्वदा प्रचानन होगा। जिस्सी परिसंक्टमब पदार्थों का उपयोग या उत्पादन। जाता, विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। उत्पादन। नए बृहद तार्पाय और जल-विश्वपीत लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। उत्पादन। नए बृहद तार्पाय और जल-विश्वपीत लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित करने वाले उद्योगों की स्थापना। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित करने वाले उद्योगों की स्थापना। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित करने वाले उद्योगों वाला, विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित करने थेलों का उपयोग। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित के यंवों का उपयोग। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित के यंवेदित तिवाय)। परिश्वित के यंवेदित तिवाय)। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित के यंवेदित त्वायों। परिश्वित के यंवेदित त्वायों। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित के यंवेदित त्वायों। लागू विश्वियों के अनुसार प्रतिचिद्ध (अन्यथा उपयंधित के तिवाय)। परिश्वित के यंवेदित के जनसार विश्वयों के अनुसार विनयित होंगे। पर्यवर के अनुस्त पर्यवर्ग के अनुसार विनयित होंगे। परिश्वित के यंवेदित के अनुसार विनयित होंगे। परिश्वित के यंवेदित के अनुसार विश्वयों के अनुसार विश्वयों के अनुसार विश्वयों आया के लिए अनुसार नहीं किया जाएगा: परिश्वयित के विषयों। विश्वयों के अनुसार विश्वयों के अनुसार विश्वयों के यारिश्वित के वेदित जीन के विस्तार तह कर मींगा परिश्वयों के के अनुसार विश्वयां के अनुसार विश्वयां में विश्वयां के अनुसार विश्वयां के अनुसार विश्वयां के त्यापित के विश्वयां विश्वयां के अनुसार विश्वयां के अनुसार विश्वयां के अनुसार विश्वयां के त्यापां विश्वयां विश्वयां के अनुसार विश्वयां वि			_ 405 ->
(3) जारा मीलों की स्थापना । पारिस्थितिक संबंदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुजात नहीं होगा । (4) जल या बायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना । (5) नए बृहत तापिय और जल-विद्युतीय परिश्वीजना । (6) जलावन लक्ष्टी का वाणिस्थित उपयोग । (7) प्राकृतिक जल निकायों या सतही अंत्र में अनुपार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (7) प्राकृतिक जल निकायों या सतही अंत्र में अनुपार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (8) प्रारिटक के बैलों का उपयोग । (9) प्राव्या प्रति के स्वापना । (10) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया के सनुपार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (11) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया प्राप्ति कि स्वापना। (12) प्राकृतिक जल निकायों या स्वाप्ति के स्वापना का स्वाप्ति के अनुपार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (13) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया प्राप्ति कि स्वापना के स्वापन के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (14) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया प्राप्ति कि स्वापना के स्वापन के मिन्न सिव्या के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) । (15) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया प्राप्ति कि स्वापना के प्रति हों में स्वापन के निव्या के अनुसार विनियमित होंगे । (16) पारिश्वितिक अनुकल पर्यटन होटलों और हिया कि स्वापन के सिवाय पारिश्वितिक के अनुकल पर्यटन क्रियाकलापों से स्वापन के सिवाय पारिश्वितिक के अनुकल पर्यटन क्रियाकलापों । किलोमीटर के स्वापन को सिवाय पारिश्वितिक के अनुकल पर्यटन क्रियाकलापों । किलोमीटर के स्वापन को सिवाय पारिश्वितिक के अनुकल पर्यटन क्रियाकलापों । किलोमीटर के स्वापन के सिवाय जार के स्वापन करा सिवाय जार कि सिवाय निवाय निवाय सिवाय निवाय न			
विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा (3) जिल्ली परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या जात्र (विश्वार अनुज्ञात नहीं होगा (4) जल या वायु या मृदा या ध्वति प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना पारिस्थितिक संबेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (5) नए बृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (6) जलावन लकड़ी का याणिश्चिय उपयोग जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (7) प्राकृतिक जल तिकायों या समझी क्षेत्र में अनुपत्तार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (8) प्राटिक के बैलों का उपयोग जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (8) प्राटिक के वैलों का उपयोग जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (8) प्राटिक के वैलों का उपयोग जायू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय) (9) प्राटिक के वैलों का उपयोग जायू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे जायू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (10) प्राटिक के वैलों का उपयोग जायू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे जायू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (11) प्राटिक के विलाक काप करना प्राट्ट के के विश्वार तथा वाणिव्यक होटल और रिसोटों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकृत पर्यटन क्रियाकलापों से संविधित के अनुकृत पर्यटन क्रियाकलापों से संवधित पर्यटन के के विवाय पारिस्थितिक के अनुकृत पर्यटन क्रियाकलापों से विश्वार तथा के अनुसार मुझे जोन के विश्वार तथा कियाकलापों से विश्वार नियमित के अनुसार हों किया जायूणा: (11) सिमार्ग क्रियाकलापा क्रियाकलापों साहेत अपयोग के लिए प्रतिप्य के मार्गदर्ध के विश्वार के अनुसार विश्वार के अनुसार हों के अनुसार विश्वार के अनुसार से के अनुसार विश्वार के अनुस्य के लिए सिमार्ग की अनुसार पर्य जो के लिए सिमार्ग के अनुस्य पर्व के अनुसार विश्वार के अनुस्य के विश्वार के अनुसार होंगा (12) प्राकृतिक के जिला निक्याकलापों आवितिक महायोजना के अनुस्य विश्वार के अनुसार विश्वार विश्वार होंगा (13) वाष्व अन्यार होंगा के अनुसार विश्वार विश्वार विश्वार होंगा जायू विश्			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(4) जल या बायू या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाणे उद्योगों की स्थापना। (5) नए बृहत तापीय और जल-विश्वतीय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाणे का विस्तार अनुजात नहीं होगा। (6) जलावन लकड़ी का वाणिज्यक उपयोग। (7) प्राकृतिक जल निकायों या सनहीं क्षेत्र में लायू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय)। (7) प्राकृतिक जल निकायों या नानहीं क्षेत्र में लायू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपयंधित के सिवाय)। (8) प्रतास्टिक के बैलों का उपयोग। (9) पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप कैंग मर्म बायु जुलारों आदि द्वारा पाष्ट्रीय उच्चन के नाम के उपरा से उड़ता असे क्रियाकलाप केंग मर्म बायु जुलारों आदि द्वारा पाष्ट्रीय उच्चन के नाम के उपरा से उड़ता जैसे क्रियाकलाप केंग मर्म बायु जुलारों आदि द्वारा पाष्ट्रीय उच्चन के अन्य करना। (10) पारिस्थितिक अनुकृत पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना को निवाय पारिस्थितिक के अनुकृत पर्यटन क्रियाकलापों से संविध्यों के अनुसार विनियमित होंगे। (11) मित्रमणि क्रियाकलाप। (11) मित्रमणि क्रियाकलाप। (12) मित्रमणि क्रियाकलाप। (13) पार्मिक कल निकायों या भू-क्षेत्र में स्थापना को स्थापना को निवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के स्थापना के निवाय का पार्मा पर्यटन स्थापना को पार्मा के स्थापना के निवाय जाएगा। (11) मित्रमणि क्रियाकलाप। (12) पारिस्थितिक अनुकृत स्थापना को पार्मा के निप् उनकी भूमि में संनिमाण करने की अनुक्य हो पार्मा के निप् उनकी भूमि में संनिमाण करने की अनुक्य हो पार्मा के निप उनकी भूमि में संनिमाण करने की अनुक्य हो पार्मा के निप उनकी भूमि में संनिमाण क्रियाकलाप विनियमित होंग। (12) प्राकृतिक जल निकायों या भू-केत्र में संनिमाणिक अनुक्यकलाों के निप संनिमाणिक क्रियकलाप आंचलिक महायोजना के अनुक्य होगा। (13) वापु और सानिक प्रदेशण। (14) प्राव्यक्य को प्रवेद जीन में संनिमाणिक क्रियकलाप आंचलिक महायोजना के अनुक्य होगा। (15) वापु और सानिक प्रवृत्य निस	(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	·
कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा तण् वृहत ताणीय और जल-विद्युतीय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे लागू विधियों के अनुसार वोग्य विध्वाग वें के अनुसार वोग्य वें के अनुसार वोग्य वें के अनुसार के मार्गदर्श के सिद्यार पर्यटन के के क्षावाणि यों विध्वाग वें के अनुसार वें के स्थापाय को विगय वार्य के सिद्या जाएगा: परंतु स्थानिय लोगों के अनुसार वें किए उनकी भूमि में संनिमाण करने के अनुसार विनियमित हिए जाएगों और लागू नियमों और विनियमों, यदि को के लागू विधियों के अनुसार सक्षम प्राधियों के विगय परिष्यितिक के वें हो ने ही स्थानलप संनियमित होंगे लागू विधियों के अनुसार होगा	(3)		लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6) जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग । (7) प्राकृतिक जल निकायों या सतदी क्षेत्र में अनुपारित बहिस्रांव और टोस अपशिष्टों का निस्सारण । (8) प्लास्टिक के थेलों का उपयोग । (9) पर्यटन से संबंधित कियाकलाप जैसे नर्म वायु मुख्यारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अके ऊपर से उद्यान हों के अनुसार विनियमित होंगे । (10) परिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रसोटों की स्थापना। (11) परिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रसोटों की स्थापना। (12) सिन्निमंत्र कियाकलाप करना। (13) सिन्निमंत्र कियाकलाप करना। (14) सिन्निमंत्र के अनुकूल पर्यटन हिस्सारणों से संबंधित कियाकलाप करना। (15) सिन्निमंत्र के अनुकूल पर्यटन कियाकलाप से से संबंधित कियाकलाप करना। (16) सिन्निमंत्र के अनुकूल पर्यटन कियाकलाप से से से स्थापना। (17) सिन्निमंत्र के अनुकूल पर्यटन कियाकलाप से	(4)		
(7) प्राकृतिक जल तिकायों या सतही क्षेत्र में जनुपचारित बहिर्यांव और टोस अपशिष्टों का तिस्सारण।	(5)		लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
अनुपचारित बहिस्रांव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8) प्लास्टिक के थैलों का उपयोग। (9) पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म बायु पुज्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। (10) परिस्थितिक अनुकुल पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना। (11) पारिस्थितिक अनुकुल पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना। (12) पारिस्थितिक अनुकुल पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना। (13) सिन्ना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकुल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से पर्य और पारिस्थितिक से विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्याना क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंग। (स) संत्रिमाण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित के अने एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण कियाकलापों सिहत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति वी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियसित किए जाएंगे और जनुत्र नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (व) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकरकताओं के लिए सिनर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी। (व) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकरकताओं के लिए सिनर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी। (व) एपरिस्थितिक संवेदी जोन में सिन्मर्गाण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (प) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिन्मर्गाण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होंग। (व) यास्रियां के अनुसार विनियसित होंगे।	(7)	अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9) पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म बायु पुत्र्वारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। (10) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाल संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धां तों के अनुरूप होंगे। (11) सित्रमाण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुजात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सुचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनयमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनयमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (श) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुजा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (12) प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में बहिस्राव और टोस अपशिष्ट का निस्सारण। (13) वायु और यानिक प्रदूषण। लागू विधियों के अदीन विनियमित होंगे।		वि	वेनियमित क्रियाकलाप
(10) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटल और रिसोटों की स्थापना। (10) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोटों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबधित पर्यटको के अस्थायी आवासत के लिए अनुकात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। (11) सिन्निमीण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुजात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुसाति दी जाएगी। (व) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (१) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (१) प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में विश्वाक अनुसार होगा। (१) प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में विश्वाक अनुसार होगा। (१) विश्वाक अपीत्य विनियमित होंगे।	(8)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
रिसोर्टों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। (11) सिन्निर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतुत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ब) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (12) प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में विहस्र्वांव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण। (13) वायु और यानिक प्रदूषण। (14) एक विधियों के अदीस विनियमित होंगे।	(9)	गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा। (12) प्राकृतिक जल निकायों या भू–क्षेत्र में बिहर्स्माव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण। (13) वायु और यानिक प्रदूषण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।	(10)		रिसोर्टो की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटको के अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक
बहिर्स्माव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण। (13) वायु और यानिक प्रदूषण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।	(11)	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिन्नर्माण क्रियाकलाप आंचलिक
	(12)	- ','	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
(14) ध्विन प्रदूषण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे	(13)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	(14)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे

(15)	भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे	
(16)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन	
		बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।	
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।	
(17)	विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन।	 i. भूमिगत केबल करण का सवर्धन। ii. विद्यमान घरेलू लाइनें - यदि भूमि के ऊपर है तो <20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और >30 डिग्री से कम ढाल के लिए यह भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। iii. घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना है। iv. 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के लिए, दो टावरों के 	
(4.0)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें	बीच "सैग" बिंदू भूमि से कम से कम पंद्रह मीटर पर होना चाहिए। उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा-लागू	
(18)	सुदृढ़ करना।	अनुसार होंगे।	
(19)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमित होगा की वह वन्यजीव विशेषकर हाथी, बाघ आदि बडी प्रजातियों के संचलन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।	
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।	
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(23)	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।	
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(26)	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(27)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
(28)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
		संवर्धित क्रियाकलाप	
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।	
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।	
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।	
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।	

	कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	
(33)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
(35)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

- **5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अविध के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थातु :-
- (क) प्रादेशिक आयुक्त, कलबुर्गी अध्यक्ष;
- (ख) माननीय सदस्य, विधान सभा, चिंचौली सभा क्षेत्र- सदस्य;*
- (ग) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि- सदस्य;
- (घ) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि- सदस्य;
- (ड.) कर्नाटक सरकार द्वारा(पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), गैर सरकारी संगठन का नामर्निदिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि- सदस्य;
- (च) प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर- सदस्य;
- (छ) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से कर्नाटक सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ- सदस्य;
- (ज) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य
- (झ) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि , कलबुर्गी जिला सदस्य;
- (ण) उप वन संरक्षक, कलबुर्गी प्रभाग, कलबुर्गी सदस्य सचिव।
- *(इस शर्त के अधीन रहते हुए की कर्नाटक सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो तो)

निर्देश निबंधन

- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/10/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उपाबंध – क

रेखा बिदर वन प्रभाग के चन्गलेर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ जी पी एस निर्देशांक 77.342137 <u>उत्तर:</u>-देशांतर 17.58734 अक्षांश के बिंदु के साथ आरंभ होकर और चन्गलेर वन सर्वे सं. 59 की सीमा के साथ 77.369357 देशांतर 17.605204 अक्षांश के साथ बिंदु पहुँचती है सीमा के साथ जाती है और उसी वन सर्वे सं. 31 भू-भाग के 77.390256 देशांतर 17.628246 अक्षांश के बिंदु के साथ पहुँचकर जो बिंदु का उत्तरी मुख्य सिरा है, इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और उसी वन के उत्तरी सीमा के साथ जाती है और 77.413905 देशांतर 17.616382 अक्षांश के साथ करवाकापल्ली ग्राम सर्वे सं. 63 के भू-भाग बिंदु पहुँचकर और दक्षिण की ओर जाती है फिर यह वन सीमा के सैयदापुर ग्राम सर्वे सं. 58 के 77.406753 देशांतर 17.594797 अक्षांश के साथ बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा पूर्वी भाग की ओर मुड़कर और काराकानाहल्ली वन सर्वे सं. 82 सीमा के बिंदु पहुँचती है और पुनः यह बिंदु के 77.447229 देशांतर 17.582405 अक्षांश तक जाती है जो चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-1 का बिंदु भी है। इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और खण्ड-1 की सीमा के साथ जाती है और उसी खण्ड के अंतिम बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-2 की सीमा के साथ मुड़कर और संगापुर वन सीमा के 77.508106 देशांतर 17.541541 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा पूर्वी दिशा में मुड़कर और कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ जाती है और धरमसागर और वेंकटापुर अवर्गीकृत वन सीमा के 77.579788 देशांतर 17.557373 अक्षांश के बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर और 77.575429 देशांतर 17.530521 अक्षांश के बिंदु के पहुँचती है । इसके बाद रेखा वेंकटापुर वन की सीमा के साथ जाती है फिर यह 77.595970 देशांतर 17.560747 अक्षांश की बिंदु के पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ पूर्वी भाग में जाती है फिर यह 77.690411 देशांतर 17.509890 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है ।

पूर्व:- बिंदु के ऊपर से रेखा आरंभ होकर और कर्नाटक एवं तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिणी भाग में जाती है यह मगदामपुर ग्राम के बिंदु के साथ 77.689816 देशांतर 17.474358 अक्षांश पहुँचती है।

बिंदु के ऊपर से रेखा पश्चिम दिशा में 77.689816 देशांतर 17.474358 अक्षांश बिंदु के साथ आरंभ होकर और चिंचौली वन्यजीव अभयाण्य खण्ड-IV के साथ मुड़कर यह 77.653649 देशांतर 17.481781 अक्षांश के साथ बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में मुड़कर और मगदामपुर ग्राम की सीमा के साथ 17.658223 देशांतर 7.505355 अक्षांश के बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और पुनः यह पोचावरम ग्राम की सीमा के साथ 77.644213 देशांतर 17.475911 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पोचावरम-कोंचावरम ग्राम की सीमा के 77.634886 देशांतर 17.472413 अक्षांश बिंदु के साथ होते हुए जाती है यह कोंचावरम ग्राम की सर्वे सं. 63 पहुँचती है । इसके बाद रेखा कोंचावरम की ग्राम सीमा के साथ पश्चिमी भाग में जाती है यह चिंदानूर ग्राम सर्वे सं. 92 एवं 93 के 77.617034 देशांतर 17.473107 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम सर्वे सं. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 के साथ और जिलवारशा के नाला के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम के सर्वे सं. 238, 237, 100, 94 से होते हुए और 77.591594 देशांतर 17.450808 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम की सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त शादीपुर ग्राम सर्वे सं. 125, 77, 76, 75, 74 (72 भाग) 29/क, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 भाग) 40, 38 से होते हुए और शादीपुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा शादीपुर सर्वे सं. 18 से होते हुए यह 77.549104 देशांतर 17.468089 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है । इस बिंदु से रेखा शादीपुर ग्राम की सर्वे सं. (113 भाग) (199 भाग), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है यह 77.546001 देशांतर 17.442623 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्यों की अंतर-राज्य सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है यह 77.514238 देशांतर 17.429591 अक्षांश पहुंचती है । इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और इसके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़कर यह चिंचौली वन्यजीव अभयारण्य के 77.538770 देशांतर 17.405659 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा पुनः यह मिरियम ग्राम के 77.519937 देशांतर 17.385802 अक्षांश पहुँचती है।

दक्षिण:- बिंदु के ऊपर से रेखा मिरियान ग्राम के सर्वे सं. (134 भाग) 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 से होते हुए जाती है यह कल्लुर सड़क, सर्वे सं. 58 के 77.491831 देशांतर 17.392256 अक्षांश बिंदु के साथ कल्लुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 से होते हुए जाती है और सोमालींगदाल्ली के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सोमालींगदाल्ली ग्राम सर्वे सं. 19, 18, 5 से होते हुए यह 77.477334 देशांतर 17.416241 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 9 से होते हुए और चिक्कलींगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 24 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा चिक्कलींगदाल्ली के सर्वे सं. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 से होते हुए जाती है। इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है और सर्वे सं. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 से होते हुए यह 77.452466 देशांतर 17.446609 अक्षांश बिंदु के साथ कलभावी ग्राम की सर्वे सं. 115 पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में जाती है और कलभावी ग्राम के सर्वे सं. 117,16,17,18,47,48,49,55 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इसके बाद रेखा इसके अतिरिक्त भोगलींगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 58, 59, 52, 51, 40, 39, 38, 37, 72, 73, 70 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इनोल्ली ग्राम के सर्वे सं. 120, 119, 117/1 से होते हुए यह 77.4716121 देशांतर 17.1491508 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा इंसोले ग्राम के सर्वे सं. 127, 126, 125, 130, 132,

57, 166, 147, 146, 86 से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है। रेखा इसके अतिरिक्त इंसोले ग्राम समीप सड़क के साथ जाती है और इंसोले धारा और इसके अतिरिक्त रेखा पथेपुर ग्राम की सर्वे सं. 36, 33, 31, 30, 29 पहुँचती है और रेखा कोल्लुर ग्राम की सर्वे सं. 203, 202, 198, 197, 194, 191, 154, 9, 10, से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा नगाइदलाइ ग्राम की सर्वे सं. 131, 141, 140/1, 139, 150, 139, से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 152, 153, 117, 88, 89, 91, 84, 83, 53 (7 भाग) से होते हुए उत्तरी भाग जाती है और इसके अतिरिक्त नगाइदलाइ ग्राम के सर्वे सं. 53 से होते हुए जाती है यह 77. 406737 देशांतर 17.576398 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर जाती है और यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर यह 77.380054 देशांतर 17.577700 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा टुमाकुन्ता ग्राम की सर्वे सं. 24 एवं 25 से होते हुए दिक्षणी दिशा में जाती है और इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु के 77.342137 देशांतर 17.587314 अक्षांश के साथ टुमाकुन्ता वन सीमा के साथ जाती है।

<u>उपाबंध II</u> पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र	ग्राम का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	मरियाना	गुलबर्ग	चिंचौली	122.97	77.524121	17.392297	भाग ग्राम
2	भैरामपल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	226.88	77.512357	17.395113	भाग ग्राम
3	कल्लुरा रोड	गुलबर्ग	चिंचौली	33.80	77. 495314	17.392880	भाग ग्राम
4	सोमालिंगाधाल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	626.61	77.491147	17.413171	भाग ग्राम
5	चिक्कालिंगाधाल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	301.99	77.481054	17.437167	भाग ग्राम
6	कलभावी	गुलबर्ग	चिंचौली	477.52	77.462453	17.456741	भाग ग्राम
7	बोगालिंगादाहल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	417.26	77.474449	17.477481	भाग ग्राम
8	इनोल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	792.33	77.468184	17.503609	भाग ग्राम
9	चंद्रमपल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	301.14	77.467937	17.522866	भाग ग्राम
10	गोट्टामैगोट्टा. के	गुलबर्ग	चिंचौली	146.35	77.471182	17.544468	भाग ग्राम
11	पत्थेपुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	38.02	77.440204	17.520456	भाग ग्राम
12	कोल्लुर	गुलबर्ग	चिंचौली	842.10	77.444806	17.534148	भाग ग्राम
13	नगाईदलाई	गुलबर्ग	चिंचौली	318.20	77.423980	17.551995	भाग ग्राम
14	कुसरामपल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	195.71	77.435844	17.567145	भाग ग्राम
15	मानिकपुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	231.64	77.447418	17.567348	भाग ग्राम
16	कथानागिद्दा	गुलबर्ग	चिंचौली	31.43	77.529621	17.568104	भाग ग्राम
17	संगापुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	188.26	77.538829	17.559193	भाग ग्राम


18	धरमासागर	गुलबर्ग	चिंचौली	923.85	77.534940	17.531114	पूर्ण ग्राम
19	कुसरामपल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	1924.51	77.572533	17.539749	पूर्ण ग्राम
20	अन्थावारम	गुलबर्ग	चिंचौली	78.71	77.584283	17.522922	भाग ग्राम
21	बुरागदोद्दी	गुलबर्ग	चिंचौली	56.39	77.560496	17.491459	भाग ग्राम
22	लिंगानागरा	गुलबर्ग	चिंचौली	141.23	77.618831	17.518914	भाग ग्राम
23	भोनसापुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	364.13	77.634035	17.515065	भाग ग्राम
24	शिवरामपुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	513.39	77.655425	17.512535	भाग ग्राम
25	मोगाधामपुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	639.83	77.669158	17.494844	भाग ग्राम
26	पोचावराम	गुलबर्ग	चिंचौली	226.17	77.643520	17. 486178	भाग ग्राम
27	शिवारेड्डीपल्ली	गुलबर्ग	चिंचौली	255.96	77.639325	17.498545	भाग ग्राम
28	कंचावराम	गुलबर्ग	चिंचौली	386.51	77.627834	17.480649	भाग ग्राम
29	लझ्मासागरा	गुलबर्ग	चिंचौली	123.60	77.625612	17.494828	भाग ग्राम
30	चिंधानुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	426.92	77.592931	17.477490	भाग ग्राम
31	जिलावर्षा	गुलबर्ग	चिंचौली	431.68	77.595614	17.458964	भाग ग्राम
32	शादीपुरा	गुलबर्ग	चिंचौली	1613.21	77.554636	17.467395	भाग ग्राम
			कुल:	13398.30			

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	संलग्न ग्रामों के नाम	देशांतर	अक्षांश	क्षेत्र हेक्टेयर में
ए	चन्द्रमपल्ली	77.487064	17.530857	47.71
बी	संगापुर	77.532613	17.560440	9.65
सी	सेरिबीकनाल्ली	77.509303	17.508318	25.16
डी	अन्थावरम-1	77.566011	17.518482	12.22
र्इ	अन्थावरम -2	77.565582	17.512850	7.39
एफ	अन्थावरम -3	77.581864	17.508585	181.62
जी	अन्थावरम -4	77.590537	17.518472	17.33
एच	मोमबापुर	77.604887	17.504409	21.58
आई	चिन्दानूर	77.606599	17. 485704	193.82
जे	लछमसागर	77.609738	17.497526	7.34
के	मगदामपुर	77.681981	17.501546	7.40
			कुल:	531.22

<u>उपाबंध III</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III क पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य अवस्थान (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

	9	16
मानचित्र आई डी	देशांतर (दशमलव डिग्री में)	अक्षांश (दशमलव डिग्री में)
1	77.464518	17. 456994
2	77.485222	17.478943
3	77.476827	17.501608
4	77.464532	17.532418
5	77.476240	17.548721
6	77.451449	17.533471
7	77.431611	17.560124
8	77.448815	17.559532
9	77.442902	17.578449
10	77.508127	17.541541
11	77.551452	17.551023
12	77.546763	17.516323
13	77.597721	17.532446

14	77.614197	17.531144
15	77.629818	17.488355
16	77.617390	17.472513
17	77.630736	17.518182
18	77.641416	17.520374
19	77.648197	17.497247
20	77.636469	17.496535
21	77.653859	17.483568
22	77.686761	17.488292
23	77.673506	17.506944
24	77.692601	17.502507
25	77.602185	17.465017
26	77.599491	17.489035
27	77.537891	17.488481
28	77.531649	17.455481
29	77.574040	17.463487
30	77.587102	17.466933
31	77.574478	17.479447
32	77.581505	17.480072
33	77.513150	17.401483
34	77.494358	17.423833
35	77.486677	17.449639

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2636(E)—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at exz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Chinchioli Wildlife Sanctuary is situated in Chinchioli Taluk of Kalaburagi District of Karnataka State and is spread over an anrea of 134.88 square kilometres comprising of five blocks viz, Block-I to Block-V.

AND WHEREAS, the sanctuary is also catchment of important perennial streams and tributaries of Samadi (Yetipothanala) the main source of Chandrampali dam which later joins the river Mullamari.

AND WHEREAS, the mammal found in the sanctuary are Black Buck, Common Langur, Common Fox, Hyena, Panther (Leopard), Hare, Indian Wolf, Jackal, Jungle Cat, Mice, Spotted Dear, Wild Bear etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Chinchioli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from Ecological and Environmental point of view to protect wildlife and their habited therein or its environment and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent varying upto 9.8 kilometres around the boundary of Chinchioli Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Chinchioli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 139.29 square kilometres with an extent varying upto 9.8 kilometres around the boundary of Chinchioli Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is appended as **Annexure-I**.
- (2) The Eco-sensitive Zone is spread across 32 villages. Further, there are 11 enclosed villagers within the boundary of Chinchioli Wildlife Sanctuary which are also part of Eco-sensitive Zone. The list of villages falling within the Ecosensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**
- (4) Key locations (GPS points) on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III-A**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,

- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Karnataka State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation,
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 18, 24, 32 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities, and
- (v) Rainwater harvesting:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone:
- (ii) No new hotels and resorts shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

Beyond one kilometre and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks					
(1)	(2)	(3)					
	Prohibited Activities						
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	 (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012. 					
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.					
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.					
5.	Establishment of new thermal and major hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
	Regulate	d Activities					
8.	Use of Plastic bags.	Regulated under applicable laws.					
9.	Undertaking activities related to tourism such as flying over the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.					
10.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.					
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer:					

12.	Discharge of treated effluents and solid	Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if an, with the prior permission from the competent authority. (c) Beyond one kilometres and upto the boundary of Ecosensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan. (d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan. Regulated under applicable laws.
	waste in natural water bodies or land area.	-8
13.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
14.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
		(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
17.	Insulation of electric lines.	 (i) Promote underground cabling. (ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground. (iv) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
	Promote	d activities
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

- **5. Monitoring Committee:-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Chinchioli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:
 - a) Regional Commissioner, Kalaburagi Chairman;
 - b) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chinchioli Constituency, Member;
 - c) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member;
 - d) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member;
 - e) Representative of Non-governmental Organization working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka Member;
 - f) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore Member;
 - One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka – Member;
 - h) Member of the State Biodiversity Board Member;
 - i) Deputy Commissioner or his representative, Kalaburagi District, Member;
 - j) The Deputy Conservator of Forests, Kalaburagi Division, Kalaburagi Member-Secretary.

Terms of reference:-(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

^{*(}Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify special measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/10/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

ANNEXURE-A

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE

North:- The line starts from a Point with GPS coordinate long 77.342137 lat 17.58734 runs along the Western Boundary of Changlair Reserve Forest of Bidar Forest division and reaching a Point with long 77.369357 lat 17.605204 along the Boundary of Changlair Forest Sy. No. 59 along the Boundary runs and reaches a point with long 77.390256 lat 17.628246 of the same forest Sy. No. 31 corner which is the Northern most tip of the Point, then the line turns Southeast and runs all along the Northern boundary of the same forest and reaches corner point of Karavakapalli village Sy. No. 63 with long 77.413905 lat 17.616382 and runs towards South till it reaches a Point with long 77.406753 lat 17.594797 on Sydapur Village Sy. No. 58 on Forest boundary. Then line turns towards Eastern side and reaches a point of Karakanhalli Forest Sy. No. 82 boundary and continues till the point with long 77.447229 lat 17.582405 which is also the point on the Chinchioli Wildlife Sanctuary Block-I. Then the line turns South-East and runs all along the boundary of Block-I and reaches the end point of the same block. Then the line turns North-East and moves along the boundary of Chinchioli Wildlife Sanctuary Block-II and reaches a point with long 77.508106 lat 17.541541 of the Sangapur Forest boundary. Then the line turns in Eastern direction and runs all along the Inter State boundary of Telangana and Karmataka and reaches a point with long 77.579788 lat 17.557373 on Dharmasagar and Venkatapur un-classed Forest boundary. Then the line turns South-West & South-East direction and reaches a point with long 77.575429 lat 17.530521. Then line runs along the boundary of Venkatapur Forest till reaches a point with long 77.595970 lat 17.560747. Further, the line runs eastern side along the Inter State boundary of Karnataka & Telangana till it reaches a point with long 77.690411 lat 17509890.

East:- From the above point the line starts and runs in Southern side along the interstate boundary of Karnataka & Telangana till it reaches a point of Magdampur village with long 77.689816 lat 17.474358.

South:- From the above point the line starts from a point with long 77.689816 lat 17.474358 in West direction and moves all along the Chinchioli Wildlife Sanctuary Block-IV till it reaches a point with long 77.653649 lat 17.481781. Then line turns in Northern direction and reaches a point with long 17.658223 lat 7.505355 along the boundary of Magdampur village. Then the line turns towards Southern side and continues till it reaches a point with long 77.644213 lat 17.475911 along the boundary of Pochawaram village. Then the line runs through a point with long 77.634886 lat 17.472413 on the boundary of Pochawaram-Konchawaram village till it reaches Sy. No. 63 of Konchawaram village. Then the line runs in Western side along the village boundary of Konchawaram till it reaches a point with long 77.617034 lat 17.473107 of Chindanoor village Sy. Nos. 92 & 93. Then the line runs towards South-West along the Jilwarsha village Sy. Nos. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 and along the Nala of Jilwarsha. Then the line passes through Sy. Nos. 238, 237, 100, 94 of Jiwarsha village and reaches a point with long 77.591594 lat 17.450808. Then the line runs towards Western side along the boundary of Jilwarsha village and further passes through Shadipur village Sy. Nos. 125, 77, 76, 75, 74 (72 part) 29/a, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 part) 40, 38 and reaches Nala of Shadipur village. Then line passes through Sy. No. 18 Shadipur it reaches a Point with long 77.549104 lat 17.468089. From this point the line runs in Southern direction along the Sy. Nos. Nose (113 part) (199 part), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 of

Shadipur village till it reaches a point with long 77.546001 lat 17.442623. Then the line runs towards Western side along the interstate boundary of Karnataka & Telangana States interstate Boundary till it reaches a point with long 77.514238 lat 17.429591. Then the line turns towards Southern side and further turns towards South-East till it reaches a point with long 77.538770 lat 17.405659 on Chinchioli Wildlife Sanctuary. Then the line continues till it reaches a point with long 77.519937 lat 17.385802 of Miriam village.

South: From the above point the line passes through Sy. Nos. (134 part) 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 of Miriyan village till it reaches a Nala of Kallur village on a point with long 77.491831 lat 17.392256 on Kallur Road, Sy. No. 58. The line then passes through Sy. Nos. 89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 and reaches Nula of Somalingadalli. Then the line passes through the Somalingadalli village Sy. Nos. 19, 18, 5 till it reaches a point with long 77.477334 lat 17.416241. Further, the line passes through Sy. No. 9 and the passes through the Sy. Nos. No. 24 of Chikklingdalli village. Then the line passes through Sy. Nos. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 of Chikkalingdalli. Then the line runs in North-Western direction and passes through Sy. Nos. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 till it reaches Sy. Nos. 115 of Kalbhavi village at a point with long 77.452466 lat 17.446609. Then the line runs in Northern direction and passes through the Sy. Nos. 117,16,17,18,47,48,49,55 of Kalbhavi Village. Then the line further passes through the Sy. Nos. 58,59,52,51,40,39,38,37,72,73,70 of Bhogalingdalli Village. Then the line passes through the Sy. Nos.120,119,117/1 of Inolli village till it reaches a point with long. 77,4716121 lat 17.1491508. Further, the line runs towards North-west passing through the Sy.Nos.127,126,125,130,132,57,166,147,146,86, of insole village. The line further runs along the Insole village approach road and reaches the Insole stream and the further line enters Sy. 36,33,31,30,29, of Pathepur village and the line passes furlough Sy. Nos.203,202,198,197,194,191,154,9,10, of Kollur village. Then the line passes through the Sy.Nos. 131,141,140/1,139,150,139, of Nagaidlai village. Then the line runs to Northern side passing through Sy. Nos. 152,153,117,88,89,91,84,83,53(7part) and further passes through the Sy. Nos.53 of Nagaidlai village till it reaches a point with long 77, 406737 lat 17.576398. Then the line runs towards South and it turns in Westward direction till it reaches a point with long 77.380054 lat 17.577700. Further, the line runs in Southern direction through Sy. Nos.24 & 25 of Tumakunta village and further runs along the Tumakunta Forest boundary with long 77.342137 lat 17.587314 of ESZ of starting points.

ANNEXURE-II List of villages falling within the proposed Eco- sensitive Zone

Map	Village Name	District	Taluk	Area in Ha	Longitude	Latitude	Remarks
1	Mariyana	Gulbarga	Chincholi	122.97	77.524121	17.392297	Part Village
2	Bhairampalli	Gulbarga	Chincholi	226.88	77.512357	17.395113	Part Village
3	Kallura Road	Gulbarga	Chincholi	33.80	77. 495314	17.392880	Part Village
4	Somalingadhalli	Gulbarga	Chincholi	626.61	77.491147	17.413171	Part Village
5	Chikkalingadhalli	Gulbarga	Chincholi	301.99	77.481054	17.437167	Part Village
6	Kalbhavi	Gulbarga	Chincholi	477.52	77.462453	17.456741	Part Village
7	Bogalingadahalli	Gulbarga	Chincholi	417.26	77.474449	17.477481	Part Village
8	Inolli	Gulbarga	Chincholi	792.33	77.468184	17.503609	Part Village
9	Chandrampalli	Gulbarga	Chincholi	301.14	77.467937	17.522866	Part Village
10	Gottamagotta.K	Gulbarga	Chincholi	146.35	77.471182	17.544468	Part Village
11	Patthepura	Gulbarga	Chincholi	38.02	77.440204	17.520456	Part Village
12	Kollur	Gulbarga	Chincholi	842.10	77.444806	17.534148	Part Village
13	Nagaidalai	Gulbarga	Chincholi	318.20	77.423980	17.551995	Part Village

30	Chindhanura	Gulbarga	Chincholi	426.92	77.592931	17.477490	Part Village
29	Lachamasagara	Gulbarga	Chincholi	123.60	77.625612	17.494828	Part Village
28	Kanchavaram	Gulbarga	Chincholi	386.51	77.627834	17.480649	Part Village
27	Shivareddypalli	Gulbarga	Chincholi	255.96	77.639325	17.498545	Part Village
26	Pochawaram	Gulbarga	Chincholi	226.17	77.643520	17. 486178	Part Village
25	Mogadhampura	Gulbarga	Chincholi	639.83	77.669158	17.494844	Part Village
24	Shivarampura	Gulbarga	Chincholi	513.39	77.655425	17.512535	Part Village
23	Bhonasapura	Gulbarga	Chincholi	364.13	77.634035	17.515065	Part Village
22	Linganagara	Gulbarga	Chincholi	141.23	77.618831	17.518914	Part Village
21	Buragadoddi	Gulbarga	Chincholi	56.39	77.560496	17.491459	Part Village
20	Anthawaram	Gulbarga	Chincholi	78.71	77.584283	17.522922	Part Village
19	Kusarampalli	Gulbarga	Chincholi	1924.51	77.572533	17.539749	Complete village
18	Dharmasagara	Gulbarga	Chincholi	923.85	77.534940	17.531114	Complete village
17	Sangapura	Gulbarga	Chincholi	188.26	77.538829	17.559193	Part Village
16	Kathanagidda	Gulbarga	Chincholi	31.43	77.529621	17.568104	Part Village
15	Manikapura	Gulbarga	Chincholi	231.64	77.447418	17.567348	Part Village
14	Kusarampalli	Gulbarga	Chincholi	195.71	77.435844	17.567145	Part Village


Details of the Enclosure Villages Within the proposed Eco- sensitive Zone

Map ID	Name of the Enclosures	Longitude	Latitude	Area in Ha
A	Chandrampalli	77.487064	17.530857	47.71
В	Sangapur	77.532613	17.560440	9.65
С	Seribikanalli	77.509303	17.508318	25.16
D	Anthawaram-1	77.566011	17.518482	12.22
Е	Anthawaram-2	77.565582	17.512850	7.39
F	Anthawaram-3	77.581864	17.508585	181.62

G	Anthawaram-4	77.590537	17.518472	17.33
Н	Mombapur	77.604887	17.504409	21.58
I	Chindanoor	77.606599	17. 485704	193.82
J	Lachamsagar	77.609738	17.497526	7.34
K	Magdampur	77.681981	17.501546	7.40
			Total:	531.22

ANNEXURE-III

Map of Proposed Eco-sensitive Zone



ANNEXURE-III-A

KEY LOCATIONS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM POINTS) ON THE BOUNDARY OF PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE

Key locations (GPS Points) on the Proposed Eco-sensitive Zone

Map ID	Longitude in decimal degrees	Latitude in decimal degrees
1	77.464518	17. 456994
2	77.485222	17.478943
3	77.476827	17.501608
4	77.464532	17.532418
5	77.476240	17.548721
6	77.451449	17.533471
7	77.431611	17.560124
8	77.448815	17.559532
9	77.442902	17.578449
10	77.508127	17.541541
11	77.551452	17.551023
12	77.546763	17.516323
13	77.597721	17.532446
14	77.614197	17.531144
15	77.629818	17.488355
16	77.617390	17.472513
17	77.630736	17.518182
18	77.641416	17.520374
19	77.648197	17.497247
20	77.636469	17.496535
21	77.653859	17.483568
22	77.686761	17.488292
23	77.673506	17.506944
24	77.692601	17.502507
25	77.602185	17.465017
26	77.599491	17.489035
27	77.537891	17.488481
28	77.531649	17.455481
29	77.574040	17.463487
30	77.587102	17.466933
31	77.574478	17.479447
32	77.581505	17.480072
33	77.513150	17.401483
34	77.494358	17.423833
35	77.486677	17.449639

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.